संख्या- 169 /2026/1419 /चार-2026-2043826

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 03 जून, 2026**

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भारतेन्दु नाट्य आकदमी के स्वर्ण जयंती समारोह (दिनांक 05 अप्रैल, 2026) के अवसर पर की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा एवं अनुमानित व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-371/सं0नि0-15(6)/2026-27, दिनांक 16 मई, 2026 तथा अध्यक्ष, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ के पत्र संख्या- 214, दिनांक 14 मई, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 05 अप्रैल, 2026 को आयोजित भारतेन्दु नाट्य अकादमी के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के क्रम में भारतेन्दु नाट्य अकादमी द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश के 75 जनपदों में 78 प्रस्तुतियों के मंचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत आनन्द मठ, महाराजा सुहेलदेव, बिजली पासी, झांसी की रानी, काकोरी ट्रेन एक्शन एवं उसके नायक, 1857 की क्रांति व उसके नायक, शिवाजी महाराज, रामधारी सिंह दिनकर कृति 'रश्मिरथी', सच्चिदानंद हीरानन्द वात्सयायन 'अज्ञेय', अटल बिहारी वाजपेयी, मुंशी प्रेमचन्द्र कृति बड़े भाई साहब, जयशंकर प्रसाद, सूर्य कांत त्रिपाठी निराला, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, वीर सावरकर महान विभूतियों पर आधारित नाटक कराये जाने प्रस्तावित है। इन प्रस्तुतियों के अन्तर्गत भारतेन्दु नाट्य अकादमी द्वारा आनन्द मठ महानाटक एवं महाराजा सुहेलदेव जी के जीवन पर आधारित भव्य नाटक तैयार कराये जा रहे हैं तथा अन्य विषयों पर आधारित नाटकों का सम्पूर्ण देश से आमंत्रित कर भव्य प्रस्तुतियां करायी जानी प्रस्तावित हैं। उक्त समस्त प्रस्तुतियों पर प्रस्तावानुसार निम्नानुसार व्यय अनुमानित हैः-

क्र०	विवरण	अनुमानित धनराशि
1	2	3
1	एक नवीन नाट्य प्रस्तुति पर होने वाले व्यय (काकोरी ट्रेन एक्शन, शिवाजी महाराज, झांसी की रानी) (18,35,000/- X 3 = 55,05,000/-)	55.05 लाख
2	10 आमंत्रित विषयपरक नाट्य प्रस्तुति से संबंधित व्यय (बिजली पासी, 1857 की क्रांति व उसके नायक, रामधारी सिंह दिनकर कृति 'रश्मिरथी', सच्चिदानंद हीरानन्द वात्सयायन 'अज्ञेय', अटल बिहारी वाजपेयी, मुंशी प्रेमचन्द्र कृति बड़े भाई साहब, जयशंकर प्रसाद, सूर्य कांत त्रिपाठी निराला, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, वीर	27.50 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	सावरकर) (2,75,000/- प्रति दल x 10 =27,50,000/-)	
3	नवीन तैयार 04 नाटक तथा आमंत्रित 10 नाटकों के प्रति पुनर्मंचन पर व्यय (प्रति मंचन 4,12,500/- x 70= 2,88,75,000/-)	288.75 लाख
4	अकादमी द्वारा आनंदमठ महानाटक एवं महाराजा सुहेलदेव के जीवन पर आधारित भव्य महानाटक तैयार करने पर व्यय (49,20,000/- x 2 = 98,40,000/-)	98.40 लाख
5	नवीन तैयार 02 महानाटक प्रति पुनर्मंचन पर व्यय (प्रति मंचन 12,90,000/-x 8 = 1,03,20,000/-)	103.20 लाख
योग- (रूपये पांच करोड़ बहत्तर लाख नब्बे हजार मात्र)		**572.90** लाख

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भारतेन्दु नाट्य आकदमी के स्वर्ण जयंती समारोह (दिनांक 05 अप्रैल, 2026) के अवसर पर की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा एवं अनुमानित व्यय **रू0 572.90 लाख (रूपये पांच करोड़ बहत्तर लाख नब्बे हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>शर्तें/ प्रतिबंध:-</u>

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल / बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदी पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(7) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को **भारतेन्दु नाट्य अकादमी** के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 5,72,90,000.00 (रूपये पांच करोड़ बहत्तर लाख नब्बे हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं0 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्धन-19-विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42 अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञापसंख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक-28 मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अमृत अभिजात
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अध्यक्ष/ निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।